कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर (छत्तीसगढ़)
(आदिवासी विकास शाखा)

दूरभाष-07781-252881 फैक्स-252920
Email-collector.assttw.narayanpur@gmail.com

- आदेश -

क्रमांक/5344/आ0वि0/वनअधिकार/2023-24, नारायणपुर, दिनांक 14/12/2023

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के प्रभावी एवं सुचारू कियान्वयन हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा जिला स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में मानव संसाधन के रूप में जिला परियोजना समन्वयक की नियुक्ति किये जाने हेतु दिनांक 19.12.2023 समय सायं 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उक्त पदो पर चयन हेतु पात्रता, शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास नारायणपुर के सूचना पटल में देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट **www.narayanpur.gov.in** का अवलोकन कर सकते हैं।

14.12.23

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
नारायणपुर

क्रमांक/5345/आ0वि0/वनअधिकार/2023-24, नारायणपुर, दिनांक 14/12/2012

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ ।
2. जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं जिला नारायणपुर के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in पर प्रकाशनार्थ।
3. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय नारायणपुर को सूचनार्थ एवं जनहित में प्रकाशनार्थ।

14.12.23

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
नारायणपुर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर. (छत्तीसगढ़)
(आदिवासी विकास शाखा)

दूरभाष-07781-252881 फैक्स-252920
Email-collector.assttw.narayanpur@gmail.com

क्रमांक/ /आ0वि0/वनअधिकार/2023-24, नारायणपुर, दिनांक /12/2023

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर " जिला परियोजना समन्वयक की नियुक्ति किया जाना हैं । यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पद का नाम	मानदेय (यात्रा व्यय सहित)	पद संख्या	अवधि	स्तर
1	2	3	4	5	6
1	जिला परियोजना समन्वयक	18000/-	01	09 माह	जिला स्तर

पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है:-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि हो। कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का न्यूनतम तीन वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।
3. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
4. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
5. आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथिः-
    1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक 19. 12.2023 तक कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय नारायणपुर में जमा करेंगे।
    2. आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले साक्षत्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
    3- साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरभाष/ईमेल पर अवगत कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

4- साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

5- साक्षात्कार में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर सफल अभियार्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षणार्थियों द्वारा 01 सप्ताह में ज्वाईनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाईन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा । इस संबंध में साक्ष्य प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

6- पदस्थापना जिला स्तर पर साक्ष्य प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जावेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य (जिला परियोजना समन्वयक)

1. वनअधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपे गये कार्य यथा-एफआर एमीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर सहायक आयुक्त/जिला नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वनअधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना फील्ड वर्कर के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना।
3. डीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने से सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों /जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।
5. व्यक्तिगत वनअधिकार पत्र धारको को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट कराना।
6. जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
7. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर /अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. जिला अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य ।
9. जिला नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner